रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16102026-277197
CG-DL-W-16102026-277197

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अक्तूबर 4—अक्तूबर 10, 2026, शनिवार/ आश्विन 12—आश्विन 18, 1948
No. 35] NEW DELHI, OCTOBER 4— OCTOBER 10, 2026, SATURDAY/ASVINA 12— ASVINA 18, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 163.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय भर्ती नियम (गैर राजपत्रित कर्मचारी), 1959 के अधिक्रमण में, जहां तक वे प्रोजेक्शनिस्ट के पद से संबंधित हैं और गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट भर्ती नियम, 2024 को, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर, एतद्वारा गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, शैक्षिक अहर्ताएँ आदि.— उक्त पद से भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगीं जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीम-ा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समयसमय- पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट।	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह, 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900-63,200 रु.)।

चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं।	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट होगी।)	**आवश्यक :** (क) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक या इंटरमीडिएट (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में 12वीं कक्षा) या इलेक्ट्रॉनिक्स या रेडियो और	लागू नहीं होता।

	टिप्पण-1 – आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टेलीविजन या इंस्ट्रूमेंटेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक इंटरमीडिएट। या (ख) किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रोनिक मैकेनिक या रेडियो एवं टेलीविजन या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम रखरखाव या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैकेनिक में दो वर्ष के साथ नियमित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ नियमित मैट्रिकुलेशन या उच्चतर माध्यमिक या 10 वी कक्षा; (i) किसी मान्यता प्राप्त संगठन से सिनेमा प्रोजेक्टर अथवा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एल.सी.डी.) या पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ऑडियो-वीडियो उपकरणों को संभालने में दो वर्ष का अनुभव; (ii) अभ्यार्थी की उपयुक्तता का आंकलन करने के लिये उपर्युक्त उपकरणों को सभालने के लिये एक व्यवसाय कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष। **टिप्पणी:** केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये कम से	प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारी: (क) वर्तमान विभागीय संवर्ग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करते हुए।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:— 1. उप निदेशक,	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रेरण प्रशिक्षण होगा।		(ख) स्तम्भ-(7) के अधीन सीधी भर्ती के लिये विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और अनुभव होना। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पूर्व उसी या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारण किये गये अन्य बाह्य -संवर्गीर्य (पूर्व कैडर) पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य; तथा 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी -II अथवा -III, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य।	

[फ़ा. सं. 23011/30/2023-पीटी]

रंजीत कुमार साव,अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

G.S.R. 163.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Police Training College (Non Gazetted Staff) Recruitment Rules 1959 in so far as they relate to the post of Projectionist and the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Junior Projectionist Recruitment Rules, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Projectionist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Junior Projectionist, (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Junior Projectionist.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200).

Whether selection post or non – selection post.	**Age- limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**
Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep. **Note 2:-** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** (a) Higher Secondary or Intermediate (12th Standard in Physics, Chemistry and Mathematics) or Vocational Intermediate in the Electronic or Radio and Television or Instrumentation or Information Technology from any recognised board; or (b) After regular Matriculation or Senior Secondary or 10th Class with two years regular Industrial Training Institute in Electronics Mechanic or Radio and Television or information Technology or Electronics System maintenance or Electronic Instrument Mechanic from any Government recognised Institute; (i) Two years of experience in handling Cinema Projectors or Liquid Crystal Display or Public Address System and Audio Video Equipment from any recognised organisation; (ii) A trade skill test for handling the above-mentioned devices shall be	Not applicable.

		conducted to assess suitability of the candidate.	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Two years. **Note:** - There shall be mandatory induction training of at least two-week duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment failing which by deputation.	**Deputation:** Officer of the Central Government or the State Government or Union territory administration: (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualification and experience as specified for direct recruits under column (7). Note 1: - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: - The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group C, Departmental Confirmation Committee - (for considering confirmation) consisting of: - 1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairperson; 2.Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member; and 3.Administrative Officer Grade-II or III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[File No. 23011/30/2023-PT]

RANJIT KUMAR SHAW, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 164.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, (हिंदी अधिकारी) समूह 'ख', भर्ती नियम, 1986 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह "क" पद भर्ती, नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम.	पद की संख्या.	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.	चयन पद हो या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक निदेशक (राजभाषा)।	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु)।	चयन पद.

सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति चाहे सीधे भर्ती द्वारा हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन के अनुसार होगी।	**(क) आवश्यक :** (i) (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ, हिंदी में मास्टर डिग्री; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ, अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से और एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ, हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या (घ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ, हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या (ङ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी तथा अंग्रेजी या दोनों विषयों में से किसी एक विषय में परीक्षा के माध्यम के रूप में एवं दूसरा डिग्री	लागू नहीं होता	दो वर्ष। **टिप्पण :** भारत सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का आज्ञापक प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने की दशा में प्रतिनियुक्ति द्वारा, इन दोनों के न हो सकने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा।

	स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयुक्त करने या अनुप्रयोग करने का और अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य करने का 3 वर्ष, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान्यता दी जाएगी, का अनुभव; या (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी या अंग्रेजी में अध्यापन या अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। **(ख) वांछनीय :** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा के स्तर पर भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों			

	के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है।**	**भर्ती में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6(35400-112400 रु) में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने सक्षम प्राधिकारी या भारत सरकार द्वारा विहित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु यह कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, ताकि वे अपने उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्र **हों।** **प्रतिनियुक्ति :** केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी ,- (क)(i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद पर हों; या (ii) जो मूल कैडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-9(53100-167800 रु) में या समकक्ष पद पर नियुक्ति के बाद श्रेणी में दो वर्ष की सेवा दे चुके हों; या (iii) जो मूल कैडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-8(47600-151100 रु) में या समकक्ष पद पर नियुक्ति के बाद श्रेणी में चार वर्ष की सेवा दे चुके हों; या (iv) जो मूल कैडर या विभाग में वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400 रु) में या समकक्ष पद पर नियुक्ति के बाद श्रेणी में पांच	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल हैं:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई - सदस्य; 4. उप निदेशक (अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई का कार्य देख रहे), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल हैं:- 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय –	केवल सीधे भर्ती और प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

वर्ष की सेवा दे चुके हों; और (ख) स्तंभ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी कतार में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर आए लोग प्रोन्नति से नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले भारत सरकार के उसी या किसी दूसरे संगठन या विभाग में किसी दूसरे संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, आम तौर पर तीन वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। **टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	अध्यक्ष 2. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई – सदस्य 3. उप निदेशक (अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई का कार्य देख रहे), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य।	

[फ़ा. सं. ए.11018/19/2014-एम.एच.II/एन.सी.डी.I]

हेमलता सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2026

G.S.R. 164.— in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, (Hindi Officer) Group ‘B’, Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Assistant Director (Official Language), Group ‘A’ Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Assistant Director (Official Language).	01* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Selection Post.	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by Government of India. **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**(a) Essential:** (i) (A) Master’s degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (B) Master’s degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (C) Master’s degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (D) Master’s degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subjects or as a medium of examination at the degree level; or (E) Master’s degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and (ii) three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research or educational institutions; or (iii) three years experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector

		undertakings or recognised University or recognised research or educational institutions. **(b) Desirable:** Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution, in 10th class from a recognised Board. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Government of India.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Junior Translation Officer in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with ten years of regular service in the grade and having successfully completed the training of at least two weeks as prescribed by Competent Authority or Government of India. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1.Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman; 2.Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Member; 3.Director,All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member; 4. Deputy Director (looking after the work of All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary only for direct recruitment and promotion.

higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-Rs.151100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with five years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-Rs.142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Government of India shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee) for considering confirmation) consisting of:- 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Chairman; 2.Director,All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai -Member; 3.Deputy Director (looking after the work of All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai), Directorate General of Health Services -Member.	

[A.11018/19/2014-MH.II/NCD-I]

HEMLATA SINGH, Under Secy.

पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 165.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) पर्यटन कार्यालय, भारत सरकार (समूह 'III' पद) भर्ती नियम, 1979, जहाँ तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के भारत पर्यटन कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, भारत पर्यटन कार्यालय, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इसके साथ संलग्न वेतन मेट्रिक्स में स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदिः- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता– वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उच्च श्रेणी लिपिक	*23 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर– 4 (25,500-81,100 रु.)

चयन पद या अचयन पद	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(5)	**(6)**	**(7)**
अचयन	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए छूट) **टिप्पणीः** आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की जाएगी।	सीधी भर्ती हेतु: (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, सांविधिक व्यावसायिक परिषदों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य बोर्डों द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय, संस्थान या बोर्ड से स्नातक की उपाधि। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः प्रति घंटे 10,500 कुंजी-अवदाब तथा 9,000 कुंजी-अवदाब के समतुल्य हैं, जिसकी गणना प्रति शब्द औसतन पाँच कुंजी-अवदाब के आधार पर की जाती है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	दो वर्ष। **टिप्पण:** पर्यटन मंत्रालय द्वारा विहित परिवीक्षा की सफलतापूर्वक पूर्णता के लिए, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण के उपरांत संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का आज्ञापक प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।	(i) 70 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** किसी पदधारक के प्रतिनियुक्ति पर रहने, लंबी बीमारी, अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से, जो नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करते हों तथा स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएँ रखते हों, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में जिनसे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचनाः**	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
पदोन्नति संबंधित क्षेत्र में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (₹19,900–63,200) में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कम-से-कम आठ वर्ष की नियमित सेवा	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल है: 1. क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक या	लागू नहीं

करने वाले अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा। **टिप्पण:** जहाँ पदोन्नति के लिए ऐसी कनिष्ठ अधिकारियों पर विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, वहाँ उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा, परंतु कि वे अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा में ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा की आधी अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक की कमी न रखते हों तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिन्होंने अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अगले उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित):- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष (समान) पद धारित किए हों; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।	उप महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासन प्रभारी) – सदस्य; और 3. पर्यटन कार्यालय या किसी अन्य केंद्रीय सरकार के कार्यालय या विभाग से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में शामिल हैं:- 1. संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक या उप महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशासन प्रभारी) – सदस्य; और 3. किसी अन्य केंद्रीय सरकार के विभाग या कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/14/2023-प्रशा.I]

बी.एच.टी. वैफेई, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

G.S.R. 165.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist offices of Government of India (Group 'III' posts) Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk, in the India Tourism offices, Ministry of Tourism, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Tourism, India Tourism offices, Upper Division Clerk (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualification, etc. - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns(5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered in contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Upper Division Clerk.	*23 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Ministerial.	Level - 4 (Rs. 25,500 – 81,100).

Whether selection post or non-selection post.	**Age limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	(6)	(7)
Non-selection.	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for Government Servant in accordance with the instructions or orders issued by Government of	For direct recruitment (i) Bachelor' degree from a recognised University or Institute or Board duly recognised by the University Grants Commission, Distance Education Bureau, All India Council of Technical Education, Statutory Professional Councils, National and State Boards and; (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per

	India from time to time). **Note.** The Crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by Staff Selection Commission.	minute in Hindi on computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key Depressions per hour or 9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. **Note.** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Ministry of Tourism.	(i) 70 percent by promotion failing which by deputation. (ii) 30 percent by direct recruitment. **Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification prescribed from direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committed exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion Promotion from amongst Lower Division Clerks (Rs. 19900 - 63200) in the pay matrix in the region concerned with at least eight years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering. Confirmation) consisting of:- 1. Regional Director or Deputy Director General of the region – Chairperson; 2. Assistant Director (In charge Administration of the Regional office) – Member; and 3. One Gazetted Officer from Tourism office or from another Central Government Office or Department - Member.	Not applicable.

Deputation (including short term contract):- Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration. (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation in ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.	Departmental promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:- 1. Regional Director or Deputy Director General of the Region concerned – Chairperson; 2. Assistant Director (In charge Administration of the Regional office) – Member; and 3. A Gazetted Officer from another Central Government Department or Office - Member.	

[F. No.A-12018/14/2023-Admn.I]

B.H.T. VAIPHEI, Under Secy.

.

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 166.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 को, जहां तक उनका संबंध अनुसंधान सहायक (सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग में अनुसंधान सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (I1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, अनुसंधान सहायक (सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(II2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अनुसंधान सहायक (सांस्कृतिक मानवविज्ञान प्रभाग)।	48* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6, (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(6)	(7)
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	**(i) आवश्यक अर्हता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक विषय या पेपर सांस्कृतिक मानव विज्ञान विषय के हों। **(ii) वांछनीय अर्हता:** मानव विज्ञान के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुसंधान अनुभव। **टिप्पण 1.-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.-** अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण : परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित, कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी;- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/- रु.) में उस पर पद में छह वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	**समूख 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:** (i) निदेशक या विभागाध्यक्ष, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण **-अध्यक्ष;** (ii) अवर सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली जो भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, नई दिल्ली के कार्य की देखरेख करते हों **– सदस्य;** (iii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता **- सदस्य।**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 6-3/2025-ए एंड आई]

विनय कुमार तरुण, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2026

G.S.R. 166.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Anthropological Survey of India (Cultural Anthropologist Division), Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2019, in so far as they relate to the post of Research Associate (Cultural Anthropology Division), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Associate, in the Cultural Anthropology Division, Anthropological Survey of India, Ministry of Culture, namely:-

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, Research Associate (Cultural Anthropologist Division), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,–

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Research Associate (Cultural Anthropology Division).	48* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level–6 (Rs.35400 – 112400).	Not applicable.	Not exceeding 30 years of age. (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
(i) Essential qualification: Master's degree in Anthropology from a recognised university or Institute with more than fifty percent subject or papers in the stream of	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction

Cultural Anthropology. **(ii) Desirable qualification**: One year research experience in the field of Anthropology. **Note 1.-** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**
(10)	**(11)**	**(12)**
By direct recruitment. **Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in post in level – 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix in parent cadre or department; and (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)** **consisting of:-** (i) Director or Head of the Department, Anthropological Survey of India –Chairperson; (ii) Under Secretary to the Government of India, dealing with Anthropological Survey of India, Ministry of Culture, New Delhi – Member; (iii) Senior Administrative Officer or Head of Office, Anthropological Survey of India, Kolkata – Member.

[F. No. 6-3/2025-A&I]

VINAY KUMAR TARUN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.10.16 14:24:40 +05'30'